

निर्णय ब-इजलास प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 24/2023 (धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)
सरकार जरिये श्रीमती ज्योति सुण्डा, प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स लक्ष्मी मोटर्स, 200 फीट बाईपास, झोटवाड़ा, जयपुर।
2. श्री गजानन्द वर्मा पुत्र श्री लाला राम वर्मा, निवासी हिगोनिया डूंगरी, हिगोनिया, जोबनेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी. क्षमता 14.2 किलोग्राम, 1 विद्युत मोटर, काला पाईप, हुक मय 42.600 किग्रा एलपीजी को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :-

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 22.08.2024


1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.2023 को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेण्डरों का वाणिज्यिक दुरुपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ मैसर्स लक्ष्मी मोटर्स, 200 फीट बाईपास, झोटवाड़ा, जयपुर से जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी. क्षमता 14.2 किलोग्राम, 1 विद्युत मोटर, काला पाईप, हुक मय 42.600 किग्रा एलपीजी को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा-6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रकरण अन्तर्गत धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त गैस सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा-6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 20.03.2023 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन निजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौरान बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि फर्म में 03 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी. क्षमता 14.2 किलोग्राम, 1 विद्युत मोटर, काला पाईप, हुक मय 42.600 किग्रा एलपीजी पाए गए हैं, जिनसे घरेलू गैस वाहनों में भरी जाती है। इससे अप्रार्थीगण की अवैध मुनाफा की मनःस्थिति सिद्ध होती है। अप्रार्थीगण को सूचित किए जाने के उपरांत भी मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद

जिला कलक्टर
जयपुर



जवाब भी नहीं दिया गया। अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जाना स्वीकार किया गया है। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरुपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लंघन किया जाकर दण्डनीय अपराध कारित किया गया है। अतः जब्तशुदा गैस सिलेण्डर्स व अन्य सामग्री को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 14.03.2023 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।
6. घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते हैं जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद दुकान में गैस सिलेण्डर्स व अन्य सामग्री पाये गये हैं जिससे घरेलू गैस का व्यावसायिक दुरुपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरुपयोग कर द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लंघन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा गैस सिलेण्डर्स व अन्य सामग्री को राजसात किया जाना वाजिब समझते हैं।
7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 03 घरेलू गैस सिलेण्डर बी. पी.सी. क्षमता 14.2 किलोग्राम, 1 विद्युत मोटर, काला पाईप, हुक मय 42.600 किग्रा एलपीजी को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 20.03.2023 को पारित किये जा चुके हैं तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।
8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
9. निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।


(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
जयपुर